संख्या-015/वीजीएल/016-281040
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 17.04.2015

परिपत्र सं-06/04/2015

विषय: मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन द्वारा की गई गहन जांच से उत्पन्न सतर्कता मामलों के निपटान में विलंब संबंधी ।

आयोग का मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन, विभिन्न विभागों/संगठनों के कार्यों/प्रापणों आदि की गहन जांच करता है । मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन की गहन जांच रिपोर्ट के कुछ पैरा सतर्कता पैरा में परिवर्तित होते हैं तथा इन्हें अन्वेषण करने के लिए तथा त्रुटियों के लिए जिम्मेवार अधिकारियों का पता लगाने के लिए संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को भेजा जाता है । अन्वेषण करने के लिए, यदि आवश्यक समझा जाए तो, मुख्य सतर्कता अधिकारी की सहायता के लिए एक स्वतंत्र तथा विश्वसनीय इंजीनियर को भी नियुक्त किया/किराये पर लिया जा सकता है । कई बार, मुख्य तकनीकी परीक्षक को जांच से उत्पन्न हुए ऐसे मामलों को मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा तथा विभागों/संगठनों के प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा भी अपेक्षित प्राथमिकता नहीं दी जाती जो कि लंबित मुद्दों/मामलों का निपटान करने हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं ।

2. हाल ही में आयोग ने देखा है कि मुख्य सतर्कता अधिकारियों की रिपोर्ट तथा मुख्य तकनीकी परीक्षक संबंधी ऐसे निरीक्षण मामलों का उत्तर देने में मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा अनुचित विलंब किया जाता है । ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने/आयोग को उत्तर देने में अत्यधिक विलंब किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप कई बार संबंधित संदिग्ध कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं । यही नहीं, न्यायालयों ने विलंबों पर प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं । प्रारंभिक जांच तथा तदन्तर अनुशासनिक कार्रवाई शीर्घतापूर्वक करने के लिए निर्धारित की गई समय सीमाओं का सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है । आयोग इस पहलू पर वर्षों से बल देता रहा है । अत: आयोग इसे दोहराता है तथा सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों तथा प्रशासनिक प्राधिकारियों को सलाह देता है कि लंबित सतर्कता/अनुशासनिक मामलों तथा संबंधित मामलों का शीर्घतापूर्वक निपटान सुनिश्चित करें क्योंकि ना तो यह संगठन के हित में है और ना ही इसे लंबित रखना कर्मचारियों के लिए उचित है ।

3. मुख्य सतर्कता अधिकारियों/प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता मामलों पर कार्रवाई/निपटान करने में आयोग द्वारा देखे गए किसी भी अनुचित विलंब को आयोग द्वारा गंभीरता से देखा जाएगा ।

-ह0-

(जे.विनोद कुमार)
विशेष कार्य अधिकारी

सभी मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कंपनियों/स्वायत्त संगठनों/ समितियों आदि के मुख्य सतर्कता अधिकारी ।